# बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुरेश कुमार शर्मा
मो० 9470003023/9431479774

महासचिव,
* सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :– * सआदत हसन मिन्टू
* राजेन्द्र राम

संयुक्त सचिवः – * राजयनन्द वार्डियार
* अनिल कुमार

कोषाधयक्षः – * चन्द्र शेखर सिंह

संयुक्त कोषाधयक्षः – * विनोद आनन्द

पत्रांक : 43 दिनांक 29/5/2015

सेवा में,

**मुख्य सचिव,**
बिहार सरकार।

विषय :– काला बिल्ला लगाने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक विभिन्न सेवा संवर्ग के निर्णय आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के सभी सदस्यों द्वारा काला बिल्ला लगाकर आज दिनांक 29.05.2015 को सरकारी कार्य का निष्पादन किया गया। काला बिल्ला लगाने का प्रयोजन का संदर्भ इस प्रकार है :–

(1) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या–61/2002 एम0 नागराज एवं अन्य बनाम् भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 19.10.2006 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक–11635 दिनांक 21.08.2012 द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मियों को प्रोन्नति में आरक्षण की सुविधा परिणामी वरीयता के साथ अगले आदेश तक जारी रखने का निर्णय लिया गया। इस संकल्प के विरूद्ध सुशील कुमार सिंह व अन्य के द्वारा समादेशवाद संख्या–19114/2012 दायर किया गया जिसमें दिनांक 05.08.2014 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त संकल्प पर रोक लगा दी जिसके बाद सामान्य प्रशासन ने ज्ञा0 2012 दिनांक 12.08.2014 द्वारा राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों (क्षेत्रीय कार्यालयों सहित) पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक पर रोक लगायी गई।

इस मामले में दिनांक 04.05.2015 को माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद सरकार के द्वारा दिनांक 12.08.2014 को प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही पर रोक न तो हटाई गई है और न ही प्रोन्नति देने की कार्रवाई प्रारम्भ की गई है बल्कि सरकार के द्वारा LPA दायर की गई है।

इसके कारण अनु0जाति/जनजाति के साथ–साथ अन्य सभी वर्ग के पदाधिकारियों का प्रोन्नति बाधित है तथा वे सेवानिवृत्त हो रहे है जिन्हें प्रोन्नति के साथ–साथ पेंशन की राशि का भी नुकसान हो रहा है।

2. प्रोन्नति नहीं देने का दुष्परिणाम यह है कि बगैर एक भी प्रोन्नति पाये पदाधिकारी की सेवा अवधि इस प्रकार है :–

| क्र0 सं0 | बैच | नियुक्ति का वर्ष | सेवा अवधि |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 बैच | 1992 | 23 वर्ष |
| 2 | 37 बैच | 1993 | 22 वर्ष |
| 3 | 38 बैच | 1995 | 20 वर्ष |
| 4 | 39 बैच | 1996 | 19 वर्ष |
| 5 | 40 बैच | 1997 | 18 वर्ष |
| 6 | 41 बैच | 1999 | 16 वर्ष |
| 7 | 42 बैच | 2000 | 15 वर्ष |

उपरोक्त से स्पष्ट है कि 23 वर्ष से 15 वर्ष की सेवा पूरी करने के बावजूद एक भी प्रोन्नति नहीं हुई है जिससे पदाधिकारी का मनोबल गिरता जा रहा है जिसका असर सरकार के कामकाज पर भी पड़ता है।

3. संघ की मांग है कि प्रोन्नति देने की कार्रवाई अविलम्ब प्रारम्भ की जाए।

ह0/–
**(सुशील कुमार)**
महासचिव

ह0/–
**(सुरेश कुमार शर्मा)**
अध्यक्ष

**प्रतिलिपि** :– प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
**(सुशील कुमार)**
महासचिव

**प्रतिलिपि** :– निदेशक, सभी दूरदर्शन को प्रसारणार्थ प्रेषित।

ह0/–
**(सुशील कुमार)**
महासचिव

**प्रतिलिपि** :– सम्पादक सभी दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी/अंग्रेजी) को प्रकाशनार्थ प्रेषित।

**(सुशील कुमार)**
महासचिव